संoसंo–6/N-01-28/2018..680(6)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल।
सभी सिविल सर्जन, बिहार।
सभी प्राचार्य/प्राचार्या, ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 स्कूल, बिहार।

पटना, दिनांकः 01 / 08 /2018

विषयः **नर्सिंग स्कूलों में प्रतिनियुक्त परिचारिका श्रेणी 'ए' को विरमित किये जाने के संबंध में।**

प्रसंगः **विभागीय आदेश ज्ञापांक–81(6) दिनांक–07.02.2018, 407(6) दिनांक–24.05.2018 तथा 475(6) दिनांक–05.06.2018**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक–81(6) दिनांक–07.02.2018 तथा 475(6) दिनांक–05.06.2018 द्वारा राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत परिचारिका श्रेणी 'ए' को अपनी ही वेतनमान् मं कार्यकारी व्यवस्था के तहत कार्यहित में सिस्टर ट्यूटर से संबंधित शैक्षणिक कार्य करने हेतु नर्सिंग संस्थानों/स्कूलों में प्रतिनियुक्ति की गई हैं। विभागीय आदेश ज्ञापांक–407(6) दिनांक–24.05.2018 द्वारा मधेपुरा के तीन परिचारिका श्रेणी 'ए' की गई प्रतिनियुक्ति को रद्द किया गया हैं।

प्रायः ऐसे दृष्टांत आ रहें हैं कि उपर्युक्त विभागीय आदेश के अनुपालन में कुछ नियंत्री पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए कर्मियों को अबतक योगदान हेतु विरमित नहीं किया गया हैं। साथ ही प्रतिनियुक्ति रद्द किये जाने के उपरांत भी नर्सिंग संस्थानों/स्कूलों के प्राचार्य/प्राचार्या द्वारा उनके मूल पदस्थापित संस्थान में विरमित करने के स्थान पर उसी संस्थान में बने रहने हेतु अनुशंसा किया जा रहा हैं।

विदित हों कि अपने ही वेतनमान् में सिस्टर ट्यूटर संबंधी शैक्षणिक कार्य करने हेतु इच्छुक कर्मियों से आवेदन की माँग की गई थी। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित आवेदन के आलोक में ही उक्त कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कार्यहित में की गई हैं। आदेश का अनुपालन न कर पुनर्विचार एवं मार्गदर्शन का अनुरोध विभागीय आदेश की अवहेलना का घोतक हैं।

अतः निदेशित हैं कि जिन प्रतिनियुक्त कर्मियों को योगदान हेतु अबतक विरमित नही किया गया हैं तथा प्रतिनियुक्ति रद्द होने के उपरांत भी मूल पदस्थापन संस्थान में योगदान हेतु विरमित नहीं किया गया हैं उन्हें **तीन दिनों के अंदर** अनिवार्य रूप से विरमित करते हुए उसकी सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन
ह0/–
(राधेश्याम साह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–680(6) पटना, दिनांकः–01/08/18

प्रतिलिपिः– आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

01/8/18
सरकार के अपर सचिव।

E/Rakesh/Arun jee/Letter